कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-2767611

पत्रांकः– 2597 / FP/UK/ROAD/36547/2018 दिनॉकःदेहरादून 28 अप्रैल, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद चमोली में नारायणबगड़ चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.583 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

सन्दर्भः–भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 27.12.2021

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 27.12.2021 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 2270/12–1 दिनांक 04.04.2022 से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	बिन्दु सं0 1 के उत्तर मान्य योग्य नहीं है। भू–स्खलन जोन को नक्शे पर अंकित करे तथा इस हेतु geologist का प्रमाण पत्र प्रेषित करने का कष्ट करें।	उक्त के क्रम में अवगत कराया गया है कि अधीक्षण अभियन्ता सॉतवां वृत्त लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर जो कि मार्ग के समरेखण अनुमोदन हेतु अधिकृत अधिकारी है, प्रस्तावित समरेखण को समस्त तकनीकी पहलुओं पर पर विचार–विमर्श के उपरान्त अनुमोदित किया गया है, भूगर्भीय वैज्ञानिक द्वारा भी प्रस्तावित समरेखण को ही मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त मानते हुये आख्या दी गयी है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि भू–वैज्ञानिक द्वारा वैकल्पिक समरेखण पर कोई आख्या नही दी गयी है।
2	बिन्दु सं0 02 के प्रतिउत्तर में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रेषित नहीं किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इस कार्यालय के पत्र दिनांक 29.07.2021 का अवलोकन कर उत्तर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	उक्त के क्रम में अवगत कराया गया है कि क्षतिपूकर वृक्षारोपण मैप में सुधार कर संशोधित मैप संलग्न कर प्रेषित की जा रही है तथा वृक्षारोपण डिजिटल मैप एवं जियोरिफरेन्स मैप ऑनलाईन पार्ट II के यथास्थान पर अपलोड किया जा चुका है। (संलग्न–01)
3	बिन्दु सं0 04 के प्रति उत्तर में प्रेषित शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणन पत्रक के अवलोकन उपरान्त पाया गया है कि eco clasee-V की दर लागू की गयी है परन्तु eco class III का उल्लेख किया गया है अतः राज्य सरकार इस सम्बन्ध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	बिन्दु सं0 04 के क्रम में स्पष्ट करना है कि टंकण की त्रुटिवश Eco-class-V के स्थान पर eco-class-III अंकित हो गयी, तथा एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होने से बढी हुई दर से एन0पी0वी0 का आंगणन संशोधित आंगणन शीट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–02)

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,
28/4
(बी0पी0 गुप्ता)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

पत्रांक 2597 /FP/UK/ROAD/36547/2018/ दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 2270/12–1 दिनांक 04.04.2022 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।

28/4
(बी0पी0 गुप्ता)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

O/C

R. PD backup